

v/; k; & 6
i pk; rka l cakh vuqka kvka dk l kjka k

6.1.0 अध्याय-1 में हम पूर्व में ही अपने राज्य के पंचायत वित्त के विश्लेषण हेतु हमारे द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण एवं कार्यविधि की रूपरेखा प्रस्तुत कर चुके हैं। हमने उसमें उन कठिनाईयों एवं बाध्यताओं का भी विस्तार से उल्लेख किया है, जिनका सामना आयोग को राज्य की तीनों स्तरों की पंचायतों से संबंधित सौंपे गये कार्यों के निष्पादन में करना पड़ा। इस प्रतिवेदन के अगले अध्यायों के संबंधित खण्डों में हमने राज्य सरकार को कतिपय सुधारात्मक उपाय भी सुझाये हैं। हम आशा करते हैं, कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये, कि अगले राज्य वित्त आयोगों को अपने विधिवत् कार्यों को निष्पादित करने में ऐसी कठिनाईयों एवं बाध्यताओं का सामना न करना पड़े, सभी आवश्यक प्रशासकीय उपाय करेगी।

6.2.0 पंचायतों द्वारा आंतरिक राजस्व संग्रहण :

6.2.1 छत्तीसगढ़ के जीवनक्षम एवं गतिशील ग्रामीण स्थानीय शासन के समग्र एवं दीर्घकालीन हित में तथा राज्य सरकार के वित्तीय भार को कम करने के लिये यह अत्यावश्यक है, कि पंचायतों का राजकोषीय अधिकार क्षेत्र स्पष्टतः एवं उपयुक्त रूप से निर्धारित किया जाय तथा पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध सभी राजस्व संभावनाओं के पूर्णतः दोहन के लिये न केवल प्रेरित वरन् बाध्य भी किया जाय। स्थानीय शासन की प्रशासकीय एवं कार्यात्मक स्वायत्तता काफी कुछ पंचायतों की अथवा किसी भी स्थानीय शासन इकाई की वित्तीय स्वायत्तता की सीमा से निर्धारित होती है। *fdl h LFkkuh; 'kkl u bdkbz dh foRrh; Lok; Rrrk dk l drkd ml vuqkr ij fullkj djrk g\$ ftl ea og bdkbz vius dgy l kekl; [kpkd dks vius Lo; a ds iz kl ka l s t/kus x; s l d k/kuka l s ijk djrh g\$* इसी दिशा में अंतरण पैकेज निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है।

6.2.2 वास्तव में बाहर से संकल्पित एवं वित्त पोषित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिनका क्रियान्वयन स्थानीय स्तर पर होना है, पंचायतों के लिये तब तक किसी समस्या का कारक नहीं होना चाहिये, जब तक उन्हें उनके क्रियान्वयन की लागत मिलती रहे। ये लागतें वित्तीय संसाधन एवं अतिरिक्त स्टाफ तथा साथ ही उन विशिष्ट मार्गदर्शिकाओं के रूप में होती हैं, जिन्हें प्रवर्तक/पोषक अभिकरण अपने कार्यक्रमों एवं योजनाओं को पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित कराते समय जारी करते हैं।

अन्य शब्दों में, किसी स्थानीय शासन इकाई के कार्यात्मक अधिकार क्षेत्र के दो पृथक क्रिया क्षेत्र होने चाहिये, **ifke]** एक स्थानीय स्व-शासन इकाई के रूप में उनके 'सामान्य' कार्य तथा **f}rh;]** लागत-प्रभावी एवं जन-केन्द्रित व्यवस्था के रूप में पंचायतों द्वारा क्रियान्वित 'अभिकरण कार्य'। पंचायतों के आंतरिक राजस्व संग्रहण का संबंध हमेशा केवल उनके ***l kell;** * कार्यों से ही होता है। **, d idkj l s Hkjr h; l fo/kku ds vuq 243¼½ ds i ko/kku vuq kj jk-fo-vk dk iedk dk; l ipk; rka , oa uxjh; fudk; ds ^l kell; ^ dk; k ds {ks- ea jktLo vrjky dh ifr? djuk g**

इस दृष्टिकोण के प्रकाश में आयोग ने राज्य की पंचायतों के द्वारा **^vrjfd jktLo l xg.k^** के क्षेत्र में इस प्रतिवेदन के अध्याय-2 में कतिपय अनुशंसायें की हैं, जिनका **l kjkak** निम्नानुसार है :-

6.2.3 हमारा विचार है, कि अविभाजित म.प्र. राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 में छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी-बहुल राज्य की विशेष एवं अनूठी आवश्यकताओं एवं समस्याओं को देखते हुये, उपयुक्त परिवर्तन आवश्यक है। एक ऐसे राज्य में जहाँ बड़ी संख्या में 'बसरे अथवा भवनों' में स्वामी स्वयं निवास करते हैं तथा वे किराये पर दिये जाने योग्य नहीं हैं, वहाँ भवनों पर कर के लिये उनका वार्षिक मूल्य अथवा पूँजीगत मूल्य भवनो पर कर के निर्धारण का उचित एवं न्यायपूर्ण आधार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त भवनों (गैर-कृषि खाली पड़ी भूमियां नहीं) पर कर संबंधी वर्तमान विधिक विनियमों में अनेक कमियां हैं। **xte ipk; rka** के इस अनिवार्य कर के ढाँचे को युक्तिसंगत करने की दृष्टि से हम अनुशंसा करते हैं कि :-

- (1) भवनों पर कर के निर्धारण के आधार के रूप में वर्तमान **'intlxr el/; ^** के स्थान पर **'oxlbr fufel {k-^** किया जाय। राज्य सरकार संबंधित विधिक प्रावधान को संशोधित करें तथा इस हेतु प्रशासकीय निर्देशों अथवा विनियमों को जारी करते हुये विभिन्न शब्दों जैसे— 'निर्मित क्षेत्र, वर्गीकृत निर्मित क्षेत्र, भवन, आंशिक रूप से अथवा पूर्णतया व्यापारिक उद्देश्य के उपयोग में लाये जा रहे भवन, भवन का 'फर्श', कच्चा/अर्द्धपक्का/पक्का', इत्यादि, को परिभाषित करे।

[परिच्छेद 2.4.2 (1)]

- (2) 'कच्ची' प्रकृति में वर्गीकृत सभी रिहायशी भवन, जिनका निर्मित क्षेत्र एक निर्धारित आकार से अधिक नहीं है, कर से मुक्त हों।

[परिच्छेद 2.4.2 (3)]

- (3) **ftyk ipk; r** के सीई.ओ. को यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाय, कि वह **tuin ipk; rka** के मुख्य कार्यपालिक अधिकारियों एवं **xte ipk; rka** के सचिवों के माध्यम से जिले की सभी ग्राम पंचातों में स्थित भवनों को पक्का, अर्द्धपक्का एवं कच्चा वर्गों, रहवासी, अर्द्धरहवासी अथवा अर्धव्यापारिक अथवा व्यापारिक, वर्गों में वर्गीकृत कर एक पृथक रजिस्टर में सूचीबद्ध करायें तथा प्रत्येक भवन के 'तलों' की संख्या भी अंकित करायें।

[परिच्छेद 2.4.2 (5) (6)]

- (4) राज्य सरकार विभिन्न वर्गों के कर योग्य भवनों पर **l kj.kh Ø- 2-27** में दर्शाये भवनों के वर्गीकरण एवं कर दरों के अनुसार निर्मित क्षेत्र के आधार पर भिन्न-भिन्न न्यूनतम एवं अधिकतम कर दरें निर्धारित कर सकती है। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम दरों की सीमाओं के अंतर्गत प्रत्येक **xte ipk; r** स्वविवेक से अपने क्षेत्र में स्थित विभिन्न वर्गों के भवनों पर अपनी दरें निर्धारित कर सकेंगी।

[सारणी क्र. 2.27]

- (5) केवल सरकारी एवं पंचायत भवनों को छोड़कर शेष सभी वर्गों के भवनों को भवनों पर कर के दायरों में लाया जाय।

[परिच्छेद 2.4.2 (10)]

- (6) **tuin ipk; r** के उप मुख्य कार्यपालिक अधिकारी के पद के समकक्ष **ipk; r dj vf/kdkj; k** का एक पृथक कैडर स्थापित किया जाय, जिसका प्रमुख कार्य हो : संबंधित **ftyk ipk; r** के सामान्य नियन्त्रण में कार्य करते हुये प्रत्येक तीन वर्ष में, चक्रीय क्रम में, प्रत्येक **xte ipk; r** के कर-योग्य भवनों का आम पुनर्मूल्यांकन/पुनर्निर्धारण करना। अन्य शब्दों में हम जोर देकर अनुशांसा करना चाहते हैं, कि **xte ipk; rka** से उनके अपने-अपने क्षेत्रों में कर-योग्य भवनों के आम पुनर्निर्धारण का अधिकार वापिस ले लिया जाय। स्थानीय शासन वित्त के मान्य सिद्धांतों में एक सिद्धांत यह है, कि किसी स्थानीय शासन के क्षेत्राधिकार के करयोग्य भवनों के **el; fu/kkj d^** उस स्थानीय शासन के कार्मिकों से पृथक होने चाहिये, जहाँ उन्हें **iweil; kdu^** करना है।

[परिच्छेद 2.4.2 (11)]

- (7) राज्य में **ipk; r dj vf/kdkjr^** काडर की आवश्यक संख्या के संबंध में आयोग ने एक मोटा अनुमान किया है। हमने 70 पदों की आवश्यकता का आंकलन किया, जिसकी 2007-08 में वार्षिक लागत रु 0.95 लाख होगी तथा उसके बाद इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होगी।

[परिच्छेद 2.4.2 (11), (12) और (13)]

6.2.4 कतिपय आधारभूत नागरिक सेवाओं के प्रदाय की संचालन एवं संधारण (O&M) लागत की प्रतिपूर्ति के लिये गैर-आदिवासी क्षेत्रों की **xte ipk; r** भवनों पर कर के न्यूनतम 50% की दर पर एक अतिरिक्त **ukxfjd l ok dj** लगायें। 1993 के

अधिनियम में से निजी शौचालयों एवं प्रकाश व्यवस्था पर कर तथा जल दर जो अनुसूची – I एवं II में सूचीबद्ध हैं, को विलोपित किया जाय। गैर-आदिवासी **xte ipk; rka** के लिये यह , **d vfuok; l dj** होना चाहिये। इसके अतिरिक्त **xte ipk; r** क्षेत्र के किसी भी भवन को इस कर से छूट नहीं होगी।

[परिच्छेद 2.4.3]

6.2.5 राज्य की **xte ipk; rka** को समाचार पत्रों के अतिरिक्त **vu; foKki ukaj ij dj** लगाने के अधिकार दिये जाय। राज्य सरकार इस कर के प्रबंधन के लिये **xte ipk; rka** को आवश्यक मार्गदर्शिका जारी कर सकती है, जिसमें कर की न्यूनतम एवं अधिकतम दरें भी हों।

[परिच्छेद 2.4.4]

6.2.6 सार्वजनिक उपयोग के **fo'ksk fuekzk dk; ka ij vLFkk; h dj** केवल गैर-आदिवासी **xte ipk; rka** तक सीमित हो। इस कर के लिये जन सहयोग के मैचिंग अंशभाग को वर्तमान 50% से घटकर 40% किया जाय।

[परिच्छेद 2.4.5]

6.2.7 **tuin ipk; rka** को सौंपे गये वर्तमान **'ukV; 'kkyk dj^** को इस प्रकार परिवर्तित किया जाय, कि **tuin ipk; ra** 'चलचित्रदर्शी प्रदर्शनों' पर कर लगायें तथा **xte ipk; rka** को शेष सभी गैर-चलचित्रदर्शी प्रदर्शनों/अभिनयों पर कर लगाने के लिये दिये जाय। साथ ही इस 'प्रदर्शनों/शो' कर की वर्तमान दरों को सारणी क्र. 2.29 में सुझाये अनुसार बढ़ाया जाय। इसके अतिरिक्त इस कर का नाम बदलकर **^kks@in'ku dj^** किया जाय।

[परिच्छेद 2.4.6]

6.2.8 जैसाकि आयोग ने सार्वजनिक सफाई सेवाओं, प्रकाश व्यवस्था, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के लिये परिच्छेद 2.4.3 में एक समेकित 'नागरिक सेवा कर' तैयार किया था, अतः **xte ipk; rka** को उन घरों के रहवासी अथवा स्वामी से सफाई के लिये कुछ **Qhl ^** (कर नहीं) वसूल करने के अधिकार दिये जाय।

[परिच्छेद 2.12]

6.2.9 राज्य की **xte ipk; rka** के गैर-कर राजस्व के अनेक अन्य स्रोतों के लिये आयोग ने उनके अधिरोपड़ों की वर्तमान दरों में वृद्धि के सुझाव दिये हैं, जो सारणी क्र. 2.30 में अवलोकनीय है।

[परिच्छेद 2.4.9]

6.2.10 **tk xte ipk; ravis vfuok; / vf/kjsi .kka dks yxkus , oa ol ny djus ds vius vfuok; / drD; dk ogu iwkr% vFkok yxkrkj ugha djrj** उन्हें राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार से दण्डित किया जाय -

- (1) जब तक संबंधित **xte ipk; ra** स्वयं को सुधार नहीं लेती तथा एक निर्धारित अवधि में अपने विधिक उत्तरदायित्वों अथवा राज्य सरकार के प्रशासकीय आदेशों का पूर्णतः पालन नहीं कर लेती, तब तक रा.वि.आ. अनुदान तथा अन्य राजस्व हस्तांतरणों **¼ ks x; s jktLo½** को रोकना अथवा/एवं
- (2) लगातार अपने अनिवार्य करों एवं गैर-करों को अधिरोपित करने एवं वसूल करने में असफल रहने वाली ग्राम पंचायतों को **Hka djuk** एवं/अथवा
- (3) संबंधित **xte ipk; r** के सरपंच तथा सदस्यों को 6 वर्ष के लिये सरपंच/सदस्य चुने जाने के लिये **v; kx; ?kks"kr djuk** एवं/अथवा

- (4) जहां सरपंच को **xte ipk; r** का कार्यपालिक अधिकरण घोषित किया गया हो, वहां उसे **in lsgvkuk** एवं/अथवा
- (5) गैर वसूले हुये विधि-सम्मत राजस्व को संबंधित **xte ipk; rks** के सरपंच एवं सदस्यों से **ol iyus** की कार्यवाही प्रारम्भ करना। राज्य सरकार को निःसंकोच 1993 के अधिनियम की धारा 87 एवं 89 को प्रभावशील करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार आदेशित करें कि (i) कोई **xte ipk; r** बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के अपने किसी भी कर अथवा गैर-कर की दरें नहीं घटा सकेंगी; (ii) यदि किसी वर्ष करों की वसूली पिछले वर्ष की तुलना में कम होती है, तो संबंधित **xte ipk; r** राज्य सरकार को इसके कारण बतायेगी; (iii) **xte ipk; rks** द्वारा कम से कम प्रत्येक 5 वर्ष में कर एवं गैर-कर दरों को पुनरीक्षित कर बढ़ाया जाय; तथा (iv) **xte ipk; rks** को अपने आंतरिक राजस्व में न्यूनतम 5% की वार्षिक वृद्धि करनी होगी।

[परिच्छेद 2.4.10]

- 6.2.11 **tuin ipk; rks** को ऐसे सभी भवनों एवं/अथवा भूमियों पर जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नगर पालिक निगमों तथा/अथवा नगरपालिकाओं की सीमाओं के **10 fd-eh- dh f=T; k** में स्थित है तथा जिन पर कर अधिरोपण का अधिकार **xte ipk; rks** को है, भवन एवं भूमि पर लगे मुख्य करों के 50% से 200% **vfrfjDr dj** लगाने को कहा जाय। सरकार प्रदेश की नगरपालिकाओं/निगमों को विभिन्न समूहों में बांटकर प्रत्येक के लिये कर की न्यूनतम एवं अधिकतम दरें निर्धारित करें, जो इस अतिरिक्त कर के दायरे में आने वाली संबंधित **xte ipk; rks** के लिये होंगी।

[परिच्छेद 2.6.1]

- 6.2.12 **tuin ipk; rks** को अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में **fl uek ?kjks ds efstjks@ekfydks ij iR; d pyfp=n'khl in'ku** पर ***kks@in'ku dj*** के रूप में रु. 15 एवं रु. 30 की न्यूनतम एवं अधिकतम दरों पर **vfuoK; l dj** लगाना

होगा। कर की वसूली संबंधित **xte ipk; r** द्वारा की जायेगी तथा कर के सकल राजस्व का 50% संबंधित **tuin ipk; r** को हस्तांतरित किया जायेगा।

[परिच्छेद 2.4.6]

6.2.13 वर्तमान **^cktkj Qhl ^**, जो **xte ipk; r** का एक **vfuo; l vf/kjsi .k** है, को हमारे सुझाव के अनुसार युक्तिसंगत किया जाय।

[परिच्छेद 2.4.8]

6.2.14 यदि कोई **xte ipk; r** लगातार अपने अनिवार्य अधिरोपणों संबंधी राजस्व संग्रहण अधिकारों के उचित उपयोग करने में चूक करती हैं, तो **tuin ipk; r** का सी.ई.ओ. संबंधित **xte ipk; r** के अधिकारों का उपयोग करेगा। ऐसे सभी प्रकरणों में सी.ई.ओ. संबंधित **xte ipk; r** के सचिव को आदेश दे सकेगा, कि वह अनिवार्य अधिरोपणों को लगाये एवं वसूल करें तथा उनकी सकल प्राप्तियों के 10% को **tuin ipk; r** कोष को हस्तांतरित करें तथा शेष 90% संबंधित **xte ipk; r** कोष में जमा करें। इसी प्रकार **ftyk ipk; r** के सी.ई.ओ. को अधिकार हो, कि वह किसी **tuin ipk; r** को निर्धारित समय सीमा में अपने किसी अनिवार्य अधिरोपण को लगाने के आदेश दे सके। जब कोई **xte ipk; r** अथवा **tuin ipk; r** जानबूझ कर, उसे स्वयं को सुधारने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद, अपने विधिक कर एवं गैर-करों को लगाने तथा/अथवा वसूल करने में अपने अनिवार्य कर्तव्य का निर्वहन नहीं करती, ऐसी स्थिति में धारा 87 एवं 89 का उपयोग करते हुये, बिना किसी संकोच के ऐसी हठी पंचायतों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करना चाहिये। इसके अतिरिक्त अन्य पंचायतों को नियमानुसार स्थानीय राजस्व के संग्रहण के अपने कर्तव्य के मामलों में निष्क्रिय अथवा लापरवाह होने से रोकने के लिये हमारे द्वारा परिच्छेद 2.4.10 में सुझाये उपायों को आवश्यक रूप से लागू किया जाय।

[परिच्छेद 2.4.7]

6.2.15 अधिनियम की धारा 77(3) तथा उसके अंतर्गत जारी विनियमों के अधीन कृषि भूमियों पर **'fodkl dj^** के वर्तमान विधिक प्रावधान को **tuin ipk; rka** के दायरे से बाहर किया जाय।

[परिच्छेद 2.5.3]

6.2.16 **tuin ipk; rka** एवं **ftyk ipk; rka** को उनके कार्यक्षेत्रों में **vfrfjDr mRiknu 'kfd** की राशि पर क्रमशः 50% एवं 100% की अधिभार अधिरोपित करने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। यदि पंचायतें एवं **ftyk ipk; r** दोनों ही अधिभार को अधिरोपित करना चाहती हैं, तो केवल **ftyk ipk; rka** द्वारा सुझाए गए दर को ही स्वीकार किया जाना चाहिए।

[परिच्छेद 2.6.4]

6.2.17 **tuin** एवं **ftyk ipk; rka** को **jkT; mRiknu dj** पर अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में अधिभार लगाने का अधिकार दिया जाय, जिसकी दर 10% से अधिक न हो। जब कोई **tuin ipk; r** एवं **ftyk ipk; r** प्रस्ताव पारित कर सरकार से अपने ब्लॉक अथवा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन कर पर अधिभार लगाने के लिये निवेदन करे, तो राज्य सरकार आवश्यक रूप से सुझायी गई दर पर अधिभार लगाये तथा संबंधित क्षेत्रों में, मूल कर के साथ इसकी वसूली करे। ऐसे सभी मामलों में सरकार अधिभार की सकल प्राप्तियों के 90% को संबंधित **tuin** अथवा **ftyk ipk; r** को हस्तांतरित करे। जब किसी जिले की **tuin** एवं **ftyk** दोनों **ipk; rka** ऐसा निवेदन करें, सरकार केवल **ftyk ipk; r** के निवेदन पर विचार करे। जब किसी **ftyk ipk; r** के निवेदन को मान्य किया जाता है, तो अधिभार की सकल प्राप्तियों के 90% भाग को जिले की **ftyk ipk; r** एवं **tuin ipk; rka** के बीच क्रमशः 20:80 के अनुपात में वितरित किया जाय। **tuin ipk; rka** के बीच आपसी वितरण प्रति व्यक्ति आधार पर किया जाय। परन्तु, यदि अधिभार केवल किसी विशिष्ट **tuin ipk; r** के निवेदन पर लगाया गया है, तो

सरकार ऐसी **tuin ipk; r** को राज्य उत्पादन कर पर अधिभार से प्राप्त शुद्ध राशि के 50% के बराबर **ik&l lgu vuŋku** का प्रस्ताव कर सकती है।

[परिच्छेद 2.6.5]

6.2.18 **ftyk ipk; r** को जिले के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र अथवा उसके कुछ भाग (भागों) में, **ll&jktLo dsmidj dh or&ku l k≪ nj** को रू. 2.50 से बढ़ाकर रू. 10 प्रति एक रुपया भू-राजस्व, करने के अधिकार दिये जाय। जो **ftyk ipk; r** इस अधिकार का उपयोग करें, उन्हें राज्य सरकार लगाये गये अतिरिक्त भू-उपकर के संग्रहण के 150% तक **espa vuŋku** का प्रस्ताव कर सकती है, जो संबंधित **ftyk ipk; r** द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त भू-उपकर की दर पर निर्भर होगा। साथ ही सरकार इस अतिरिक्त भू-उपकर की सकल प्राप्तियों के 90% को **xte ipk; r& tuin ipk; r&** एवं **ftyk ipk; r** को क्रमशः 5:3:2 के अनुपात में हस्तांतरित करें। **tuin ipk; r&** एवं **xte ipk; r&** में, आपस में, इस अतिरिक्त **ll&midj dk forj.k** जनसंख्या के आधार पर किया जाय।

[परिच्छेद 2.6.6]

6.3.0 राज्य के पंचायत वित्त में आंतरिक राजस्व संग्रहण की समीक्षा :

6.3.1 प्रतिवेदन के परिच्छेद 2.3.0 में हमने, अपनी योग्यता एवं संबंधित सांख्यिकीय जानकारी की उपलब्धता, भले ही वह दोषपूर्ण थी, की सीमा में, तीनों स्तरों की पंचायतों के **vk&fjd jktLo l xg.k ¼/kjkl a½** की स्थिति के विश्लेषण का प्रयास किया है। राज्य के सभी 16 जिलों में बिखरी हुई 2728 **xte ipk; r&** 146 **tuin ipk; r&** एवं 16 **ftyk ipk; r&** से संबंधित जो समक हमें प्राप्त हो सके उनके आधार पर निम्नलिखित दयनीय स्थिति हमारा ध्यान आकर्षित करती है :-

(1) 2728 **xte ipk; r&** जिन्हें आगे **U; k-x&i a** कहा गया है, का निरपेक्ष रूप में, **l esdr vk&jk-l a** का आकार 1999-2000 के रू. 3.64 करोड़ से बढ़कर 2003-04 में रू. 5.48 करोड़ हो गया, यद्यपि इसमें अंतः जिला भिन्नतायें हैं। तथापि **xte ipk; r&** के चार अनिवार्य करों का उनके **dy vk&jk-l a** में प्रतिशत हिस्सा

1999-2000 के 9% से घटकर 2003-04 में मात्र 6.62% रह गया। निरपेक्ष रूप में इन चार करों का एक व्यक्तिगत न्यादर्शी *xte ipk; r* के *vkajkl a ea vkj r* योगदान 1999-2000 के रु. 1200 से सीमान्त में बढ़कर 2003-04 में रु. 1332 हो गया।

[परिच्छेद 2.35 (1)(I से III)]

- (2) वर्ष 2003-04 में, 1999-2000 की तुलना में अधिक *U; k-xk-ipk; rka* ने चार *vfuo; l dj vf/kjfir djus* में अनिच्छा जताई। उदाहरणतः कुल 2728 न्यादर्शी *xte ipk; rka* में उन *xte ipk; rka* का प्रतिशत जिन्होंने इन करों से 'निरंक राजस्व' बताया, निम्न प्रकार है :-

Ø-	vfuo; l dj	^fujd jktLo^ crkus okyh U; kn' khz xte ipk; rka dk %	
		1999&2000	2003&04
1	भूमि एवं भवनो पर कर	15.36 (419)	19.68 (537)
2	प्रकाश कर	27.38 (747)	32.84 (896)
3	निजी शौचालयों पर कर	76.91 (2098)	80.24 (2189)
4	व्यवसायों इत्यादि पर कर	31.42 (857)	34.24 (934)

नोट: कोष्टक में न्याग्रा.पंचायतों की निरपेक्ष संख्या दी गई है।

[परिच्छेद 2.35 (1) (IX)]

- (3) *U; k-xk-ipk; rka* के *dy vkajkl a ea vfuo; l vf/kjki .ka ds jktLo* का अंशभाग 1999-2000 के 9% से घटकर 2003-04 में 6.62% रह गया।

[परिच्छेद 2.35 (1)(III), सारणी क्र. 2.9]

- (4) तथापि, *U; k-xk-ipk; rka* का *ifr 0; fDr vkajkl a* 1999-2000 के रु. 7.71 से बढ़कर 2003-04 में रु. 10.99 हो गया। परन्तु समकों का जिलेवार वितरण बताता है, कि व्यक्ति स्तर पर, वर्ष 1999-2000 एवं 2003-04 में, क्रमशः 12 एवं 10 जिलों में *U; k-xk-ipk; rka dk vkj r ifr 0; fDr vkajkl a jkt; ds vkj r* से कम था।

6.3.2 **2728 U; k-xk-ik; rk** जिनके संबंध में हमने केवल 2 वर्षों **1999&2000** एवं 2003-04 के आँकड़े एकत्रित किये थे, के अतिरिक्त आयोग ने एक त्वरित अभ्यास के माध्यम से 8 ब्लाकों एवं 6 जिलों में स्थित **77 xke ik; rk** से, **2001&02 Is 2004&05** तक की 5 वर्ष की अवधि के लिये, उनके आं.रा.सं. की प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से, समय श्रृंखला समक एकत्रित किये जो **I kj.kh Ø- 2-24 , oa 2-25** में अवलोकनीय है। इन **77 U; k-xk-ik; rk** संबंधी समकों से प्राप्त निष्कर्ष संकेत देते हैं कि :-

- (1) विचाराधीन 5 वर्ष की अवधि में उनके **dy vkajk-l a** उनकी वार्षिक **ikflr; ka** के 3.40% से 5.19% के बीच रहे। संपूर्ण 5 वर्ष की अवधि के लिये उनका **vkj r okf'kd vkajk-l a** उनकी **dy ikflr; ka** का लगभग 4.13% तथा **dy 0; ;** का 4.74% रहा।
- (2) उल्लेखित 5 वर्ष की अवधि में इन **xke ik; rk** का **ifr 0; fDr okf'kd vkj r vkajk-l a** रू. 10 से कुछ ही अधिक रहा।
- (3) 5 वर्षों की अवधि में उनके **vkajk-l a** में **vfuk; l vf/kjki .ka l s iklr jktLo** का सर्वाधिक योगदान (57%) था, तथा
- (4) विचाराधीन अवधि में इन **xke ik; rk** के **jktLo 0; ;** के लगभग 29% की प्रतिपूर्ति उनके आं.रां.सं. से हुई।

[सारणी क्र. 2.24, 2.25]

6.3.3 हमें इन **2728 U; k-xk-ik; rk** ने **'ekx] ol nyh , oa 'k'k'** समक केवल अपने **vfuk; l vf/kjki .ka** के बारे में उपलब्ध कराये, जो **I kj.kh Ø- 2-26** में देखे जा सकते हैं। प्रस्तुत समकों के अनुसार **I xg.k@ol nyh nj** 1999-2000 में 68% तथा 2003-04 में 73% थी। समकों का जिलेवार वितरण बताता है कि, वर्ष

2003-04 में, 16 जिलों में यह दर 53 एवं 100% के बीच रही। परन्तु समक सही स्थिति स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि अधिकांश **xte ipk; ra** स्पष्टतः 'माँग' को जानबूझकर कम बताते हैं। वास्तव में राज्य में 10% **xte ipk; ra** भी ऐसी नहीं है, जो अनिवार्य एवं अन्य अधिरोपणों को विधिक प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत जारी विनियमों के अनुरूप अधिरोपण एवं वसूली करती है। राज्य की अधिकांश पंचायतों में 'निर्धारणों का रजिस्टर' भी उपलब्ध नहीं है। राज्य में अल्प 'वसूली' (यदि कुछ है भी) को 'माँग' के बराबर बताने की शरारतपूर्ण प्रथा व्यापक रूप से विद्यमान है। अतएव वस्तुपरक परीक्षण के बाद आयोग इन बताये गये आँकड़ों को किसी गम्भीर एवं अर्थवान विश्लेषण के लिये कतई विश्वसनीय नहीं मानता।

[परिच्छेद 2.3.6]

6.3.4 जहाँ तक राज्य की **tuin ipk; rka** के **vlajk-la** का संबंध है, इनके द्वारा इन मध्यवर्ती पंचायतों को प्रदत्त दो कर—**ukV;** **'kkyk dj^** एवं **'fodkl dj^**—संबंधी अधिकारों का, मोटे तौर पर, उपयोग नहीं किया गया है। नाट्यशाला कर केवल 'शो/प्रदर्शन कर' है, जो कर-योग्य मनोरंजनों/प्रस्तुतियों की अत्यन्त सीमित संख्या, विशेषतः चलचित्रदर्शी प्रदर्शनों की संख्या, के कारण **tuin ipk; rka** को राजस्व की कोई उचित मात्रा उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। कृषि भूमियों पर 'विकास कर' के नाम का अन्य कर वास्तव में ऐसा कर है, जिसका राज्य की **xte ipk; rka** अथवा **tuin ipk; rka** के द्वारा, वर्तमान ग्रामीण परिदृश्य में, उपयोग करना संभव नहीं है। तथापि **tuin ipk; rka** ने किराये, फीस एवं ब्याज रूपी कतिपय गैर-कर स्रोतों से अत्यल्प मात्रा में आंतरिक राजस्व जुटाया, जो 2003-04 में उनकी **dy iflr; ka** का मात्र 1.26% था। व्यवहारिक तौर पर देखें, तो **tuin ipk; ra** निरंतर **jkT;** **lgk; rk ij vlfJr** बनी हुई है; यह सहायता उनकी सकल प्राप्तियों की 99% से कम नहीं है। वे सरकार एवं उसके संबंधित विभागों की योजनाओं की मात्र क्रियान्वयन एजेन्सियां हैं।

[परिच्छेद 2.5.1 से 2.5.4 एवं 2.5.7]

6.3.5 राज्य की **ftyk ipk; r** पूर्णतः सरकार से प्राप्त अनुदानों पर निर्भर हैं। ग्रामीण स्थानीय शासन की इन शीर्ष इकाइयों का **vkrfjd jktLo l xg.k** देश के अधिकांश राज्यों के उनके समरूपों की भांति ही लगभग निरंक है।

[परिच्छेद 2.5.9]

6.4.0 सौंपे गये राजस्व के रूप में सरकार से राजस्व हस्तांतरण :

6.4.1 वर्तमान में राज्य सरकार भू-राजस्व, सामान्य भू-उपकर, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, बिक्रीकर के अधिभार, तथा लघु खनिजों पर रॉयल्टी से प्राप्त राजस्व का विभिन्न स्तरों की पंचायतों को निर्धारित अनुपात में हस्तांतरित कर रही है। हमारे प्रयासों के बावजूद हमें, भू-राजस्व एवं सामान्य भू-उपकर के पिछले 5 वर्षों के लिये हस्तांतरित, अथवा हस्तांतरण के लिये प्रस्तावित राशियों संबंधी आँकड़े प्राप्त नहीं हो सके। यह मानते हुये, कि राज्य सरकार ने संपूर्ण निर्धारित राजस्व का हस्तांतरण किया, हमने पाया कि **LVKEi 'kq̄d ij vfrfjDr 'kq̄d** (रु. 1 करोड़) एवं **fcØhdj ij vf/kkkj** में हिस्सा (रु. 7.60 करोड़) की कुल रु. 8.60 करोड़ राशि, वर्ष 2003-04 से 2005-06 की अवधि के लिये, अभी भी पंचायतों को देना शेष है। अतएव आयोग की अनुशंसा है, कि इस रु. 8.60 करोड़ की बकाया राशि का भुगतान पंचायतों को वर्ष 2007-08 में ही कर दिया जाय।

[परिच्छेद 3.1.7 से 3.1.9]

6.4.2 1993 के अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत लागू **vfrfjDr LVKEi 'kq̄d** जिसकी प्राप्ति पंचायतों के लिये हैं, की वर्तमान 1% की दर को बढ़ाकर 2% किया जाय। इसके अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का दायरा बढ़ाकर उसमें अंचल सम्पत्तियों के **ʃofue; ^** एवं **^vullr dky dh yhtʃ** संबंधी दस्तावेजों को भी, अनेक **nf{k.kh jkt; k̄ ds l eku**, शामिल किया जाय। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की प्राप्तियों को **xke ipk; rk̄ tuin ipk; rk̄** एवं **ftyk ipk; rk̄** में क्रमशः 3:1:1 के अनुपात में वितरित किया जाय।

अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के राजस्व को, प्रत्येक तिमाही, संबंधित जिला अधिकारियों के द्वारा ही संबंधित पंचायतों को दिया जाय, जिससे इस राजस्व के पंचायतों को हस्तांतरण में होने वाले बिलम्ब से बचा जा सके।

[परिच्छेद 3.1.9 (2)]

6.4.3 जहाँ तक 1993 के अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत अधिरोपणीय भू-राजस्व तथा उस पर अनेक उपकरणों/पूरक अधिरोपणों का संबंध है, राज्य सरकार द्वारा **Hk&jktLo ij** उसके 250% की दर से (न कि 50% की वर्तमान दर से) एक अकेला **midj** लगाया जाय, जिसे भू-राजस्व के साथ ही प्रत्येक जिले के **ftyk ipk; rh jkt dksk** में जमा किया जाय। भू-राजस्व संग्रहण के बराबर एक राशि राज्य सरकार द्वारा एक पृथक अनुदान के रूप में कोष को दी जाय। अधिनियम के **^df^k Hk&e; ka ij fodkl dj^** संबंधी प्रावधानों [धारा 74 (2) एवं 77 (3)] को अधिनियम से विलोपित किया जाय। साथ ही राज्य सरकार एक तरफा तौर पर भू-राजस्व/अथवा उस पर अनिवार्य उपकरण को न तो समाप्त करे और न ही माफी अथवा छूटें दें और न ही भू-राजस्व तथा उस पर लगे अनिवार्य उपकरण की दरों में परिवर्तन करें। ऐसे सभी प्रकरणों में जिनमें राज्य द्वारा की गई कार्यवाही से पंचायतों को इन स्रोतों से प्राप्त होने वाले राजस्व पर विपरीत प्रभाव पड़े, उनमें पंचायतों की पर्याप्त क्षतिपूर्ति की जानी चाहिये।

[परिच्छेद 3.1.9 (3)]

6.4.4 **fcØh dj ij vf/Hk&kj** की प्राप्तियों में **xte ipk; rks** के 30% के वर्तमान अंशभाग को बढ़ाकर 50% कर देना चाहिये तथा उसके राजस्व को **xte ipk; rks tuin ipk; rks** एवं **ftyk ipk; rks** में क्रमशः 3:1:1 के अनुपात में **ifr 0; fDr vk/kj** पर वितरण किया जाना चाहिये। विकल्प के तौर पर अधिभार की वर्तमान 10% की दर को बढ़ाकर 15% किया जाय तथा अधिभार की प्राप्तियों के एक तिहाई भाग का हस्तांतरण तीनों स्तरों की पंचायतों में ऊपर निर्धारित अनुपात में किया जाय।

[परिच्छेद 3.1.9 (4)]

6.4.5 **y?kq [kfutka dh jkVYVh** को **xte ipk; rka** एवं **tuin ipk; rka** में वर्तमान अनुपात क्रमशः 4:1 के स्थान पर 3:1 के अनुपात में बांटा जाय।

[परिच्छेद 3.1.9 (5)]

6.4.6 राज्य प्रशासित **eukjatu dj** के राजस्व का 90% **uxjh; fudk; ka** एवं **ipk; rka** में क्रमशः 2:1 के अनुपात में आबंटित किया जाय। विभाजनीय कोष में पंचायतों के अंशभाग जिलों के **ftyk ipk; r jkt dksk** में, उनकी **xteh.k tul [; k ds vk/kj** पर हस्तांतरित किया जाय।

[परिच्छेद 3.1.9 (6)]

6.4.7 वन विभाग के द्वारा लघु वनोपज की सकल प्राप्तियों का 30% अनुसूची-V के क्षेत्रों में स्थित पंचायतों को हस्तांतरित किया जाय।

[परिच्छेद 3.1.9 (7)]

6.4.8 कृषि उत्पाद विपणन महासंघ निगम (APMFC) के द्वारा संग्रहित राजस्व के न्यूनतम 50% में से 80% ग्रामीण स्थानीय निकायों **tuin ipk; rka** एवं **xte ipk; rka** को क्रमशः 1:2 के अनुपात में हस्तांतरित किया जाय तथा शेष 20% नगरीय स्थानीय निकायों में **uxj ikfydk ifj"lnka** तथा **uxj ipk; rka** में क्रमशः 7:18 के अनुपात में तथा व्यक्तिगत नगरीय निकायों में समानता के आधार पर हो। व्यक्तिगत पंचायतों में आपस में वितरण संग्रहण आधार पर किया जाय।

[परिच्छेद 3.1.9 (8)]

6.4.9 **Hk&jktLo]** रु. 2.50 प्रति एक रूपया भू-राजस्व की सुझायी दर पर अधिरोपित **l kekl; Hk&mi dj]** राज्य सरकार द्वारा कोष को **espa ; ksxnku]** तथा **eukjatu dj** में पंचायतों के अंशभाग से प्राप्त राजस्व को **ftyk ipk; rh jkt dksk** में जमा किया जाय। इस कोष का उपयोग मात्र पंचायतों को अपने क्षेत्रों में

राजस्व अर्जित करने वाले प्रतिष्ठानों को हस्तगत करने के लिये ऋण-पूंजी स्वीकृत करने के लिये किया जा सकेगा। साथ ही प्रारम्भ में कोष के कुछ भाग का उपयोग मात्र पंचायतों को आं.रा.सं. के संतोषजनक स्तर तक पहुंचने के लिये इनाम के तौर पर, प्रोत्साहन राजस्व-मैचिंग अनुदान स्वीकृत करने के लिये किया जा सकता है।

[परिच्छेद 3.1.9 (9)]

6.4.10 सभी राजस्व हस्तांतरण रा.वि.आ. अंतरण के अलावा, जो सौंपे गये राजस्व/पूरक अधिरोपणों के रूप में, विधिक होंगे तथा काफी सीमा तक पंचायतों को ये भुगतान **vukc} @fcuk'krZ** किये जायेगे।

[परिच्छेद 3.1.12]

6.5.0 सहायता अनुदानों के माध्यम से राजस्व हस्तांतरण :

6.5.1 अधिकांश अन्य राज्यों की भाँति राज्य में, स्पष्टतः, सहायता अनुदान पंचायतों की सहायता का मुख्य घटक हैं। ऐसे अनेक अनुदान हैं, जो पंचायतों को राज्य एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त होते हैं। राज्य की विभिन्न स्तरों की पंचायतों के बजटों में बाहरी सहायता की भूमिका के अवलोकन से ज्ञात होता है, कि राज्य की **xte ipk; rka** को वर्ष 2003-04 में राज्य एवं केन्द्र सरकारों से रु. 262.45 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई, जो उस वर्ष की उनकी **l dy ikflr; ka** का 93% थी। इस राशि में रा.वि.आ. अंतरण केवल रु. 37.16 करोड़ था, जो **xte ipk; rka** की सकल प्राप्तियों के 13% से कुछ अधिक था। पंचायतों द्वारा प्राप्त अनुदानों के विभिन्न घटकों में अकेला सबसे बड़ा मद एस.जी.आर.वाई अनुदानों का था, (रु. 63.45 करोड़) जो वर्ष में उनकी कुल प्राप्तियों का 22.48% था।

[परिच्छेद 3.2.1 (1)(i), सारणी क्र. 3.7]

6.5.2 वर्ष 2003-04 में **tuin ipk; rka** को अनुदान एवं **l kš sx; sjktLo** के रूप में रु. 214 करोड़ प्राप्त हुये, जो उनकी **l dy ikflr; ka** के लगभग 99% थे। पुनः उसी वर्ष में इन पंचायतों की सकल प्राप्तियों के सर्वाधिक अंशदान 95% राज्य एवं संघ सरकारों के अनुदानों का था।

[परिच्छेद 3.2.1 (2)(i), सारणी क्र. 3.8]

6.5.3 वर्ष 2003-04 में राज्य की **ftyk ipk; rka** को **lgk; rk vuqkuka** के माध्यम से कुल रु. 394.91 करोड़ प्राप्त हुये। इनमें काफी बड़ा प्रतिशत 74% **vflkdrkz dk; ka** के लिये अनुदान थे। तथापि, रा.वि.आ. अंतरण के अंतर्गत दिये गये अनुदान राज्य की इन शीर्ष स्तरीय पंचायतों की **dy i kflr; ka** का मात्र 2% थे।

[परिच्छेद 3.2.1 (3), सारणी क्र. 3.9]

6.5.4 राज्य सरकार के विभागों द्वारा आयोग को उपलब्ध कराये गये समकों के अनुसार वर्ष 2003-04 में राज्य एवं संघ सरकारों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध करायी गई कुल अनुदान राशि रु. 498.83 करोड़ थी।

[परिच्छेद 3.2.1 (5), सारणी क्र. 3.10]

6.5.5 जहाँ तक वर्ष 2001-02 से 2005-06 की अवधि के **jk-fo-vk- vrj. k'** का संबंध है, **xte ipk; rka** एवं **ftyk ipk; rka** को उपलब्ध करायी गई, राशि वर्ष 2001-02 में रु. 42.69 करोड़ से बढ़कर 2005-06 (बजट अनुमान) में रु. 99.18 करोड़ हो गई, जो प्रभावशाली प्रतीत होती है। राज्य के स्वयं के कुल कर एवं गैर-कर राजस्व के अनुपात के रूप में भी यह राशि 2001-02 के 1.57% से बढ़कर, 2005-06 (बजट) में 2.13% हो गयी। यह स्वीकार करना होगा, कि राज्य सरकार पिछले कुछ वर्षों में, इस प्रतिशत में क्रमशः वृद्धि करने के लिये कठिन प्रयास करती रही है। फिर भी यह मानते हुये, कि राज्य सरकार ने अविभाजित म.प्र. राज्य के प्रथम रा.वि.आ. की स्वीकार की गई अनुशंसाओं के अनुरूप अपने स्वयं के कर एवं गैर-कर राजस्व के 2.91% के हस्तांतरण को मान्य किया, उपलब्ध आँकड़े बताते हैं, कि 2001-02 से 2005-06 तक की पांच वर्ष की अवधि में, पंचायतों को राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित राशि में कुल रूपये 213.41 करोड़ की कमी रही। (देखें, सारणी क्र. 3.11 से 3.14)। तथापि राज्य की शैशवस्था एवं उसके कोष पर पड़ने वाले दबाव के बारे में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुये, आयोग पंचायतों को

इन 'बकाया' अनुदानों के भुगतान की अनुशंसा करने से बचना चाहेगा। फिर भी,
vk; ks vk'kk djrk g\$ o"lz 2007&08 , oa ml ds vkxs l \$ jkT; l jdkj
fuf'pr : i l \$ jk-fo-vk vrj.k ds vrxr vius Lo; a ds 'kq) dj
jkTLo dk , d fu/kkjr ifr'kr rFkk l k s x; s jkTLo ds vrxr
cpuc) jkf'k; k dks i wkr% tkjh djsxhA

[परिच्छेद 3.2.2]

6.5.6 अब हम हमारे द्वारा परिच्छेद 3.2.3 में सुझाये गये **jkT; foRr vk; ks vrj.k**
i d st^ का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे, जो निम्नानुसार है :-

- (1) **xke ipk; r** सचिव के सभी पदों पर नियमित शासकीय कर्मचारी ही होने चाहिये। गम्भीर विचार विमर्श के बाद इस संबन्ध में आयोग का मत है, कि छोटी एवं सटी हुई ऐसी **xke ipk; rks** के समूह के लिये जिसकी सम्मिलित जनसंख्या लगभग 3000 हो, एक **^l eij xke ipk; r l fpo^** का पदांकन किया जाय, जो एक नियमित शासकीय सेवक हो। नियमित शासकीय कर्मचारियों के पंचायत सचिव के कैडर में, वर्तमान में, 2270 शासकीय सेवक हैं, जबकि 3000 की औसत जनसंख्या पर एक **xke ipk; r l fpo** के हमारे मानदण्ड के अनुसार कुल आवश्यकता 5570 समूह **xke ipk; r** सचिवों की है। अतएव नियमित शासकीय **xke ipk; r l fpo** के 3300 पदों की कमी है। अतएव राज्य सरकार को यथाशीघ्र हमारे द्वारा सुझाये गये कदम उठाने चाहिये, जिससे शेष 3300 पदों का शीघ्रातिशीघ्र भरना सुनिश्चित हो सके। इसके लिये **vk; ks dh vuqkd k g\$ fd vuqkfur 3300 [kkyh ink dks jkT; ykd l ok vk; ks ds }kjk vk; kstr , d ifrLi/kkz ijh{k ds ek; e l s Hkjk tk; (** शर्त यह हो कि 50% पद पात्र वर्तमान पंचायत कर्मियों के लिये आरक्षित हों। राज्य सरकार एक अधिसूचना के द्वारा घोषित करें, कि **xke ipk; r l fpo** का काडर **^ej.k'khy dMj^** न होकर **^thor dMj^** है। यह

मानते हुये, कि राज्य लोक सेवा आयोग वर्तमान पंचायत कर्मियों में न्यूनतम 1650 को **fu; fer ipk; r l fpo** के रूप में नियुक्ति के योग्य पायेगा, शेष 1650 पदों को प्रत्यक्ष भर्ती से भरा जा सकेगा।

[परिच्छेद 3.2.3 (अ)]

- (2) आयोग के मत में, प्रत्येक **xte ipk; r** में पंचायत सचिव की सहायता के लिये कम से कम एक पंचायत **Dydl@l gk; d** होना चाहिये। तदनुसार, आयोग की अनुशंसा है, कि 7750 पंचायत कर्मियों में से 1650 को नियमित शासकीय सेवा में लेने के बाद, शेष 6100 पंचायत कर्मियों का पदनाम बदलकर **ipk; r l gk; d** कर दिया जाय तथा उन्हें समेकित फीस/वेतन रू. 2000 प्रतिमाह दिया जाय। पंचायत सहायकों की 3720 पदों की कमी की पूर्ति एक **cykd Lrjh; p; u l fefr** के माध्यम से की जाय; इस समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विनियम जारी कर, उनके अंतर्गत किया जाय। परिच्छेद 65.6 (1) एवं (2) में प्रस्तुत हमारी अनुशंसाओं के फलस्वरूप सरकार पर अतिरिक्त शुद्ध वित्तीय भार 2005-06 के लिये रू. 63.86 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2008-09 एवं आगे के लिये इस राशि में 10% वार्षिक की वृद्धि आवश्यक होगी।

[परिच्छेद 3.2.3 (अ)(1),(2)]

- (3) वित्तीय वर्ष 2007-08 से राज्य की पंचायतों को उनके निर्वाचित कार्मिकों को मानदेय, भत्ते एवं सुविधायें देने के लिये अनुदान की आवश्यक राशि रू. 7 करोड़ होगी। इस राशि में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि करनी होगी।

[परिच्छेद 3.2.3 (अ)(3)]

- (4) इस प्रकार आयोग राज्य की पंचायतों के लिये 'LFkki uk vuᅇku' की अनुशंसा करता है, जिसकी ऊपर उल्लिखित (1) से (3) तक की लागत 2005-06 में, रू. 71.81 करोड़ होगी।

[परिच्छेद 3.2.3(2)]

- (5) राज्य सरकार का पंचायतों से संबंधित सभी बचनबद्ध व्यय पूर्व की भांति जारी रहे।

[परिच्छेद 3.2.3(ब)]

- (6) पंचायतों को सरकार के संबंधित विभागों तथा केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी योजनाओं की क्रियान्वयन लागत के रूप में, योजनाओं की अनुमानित लागत का 3% 'vflkdrkz vuᅇku*' मान्य किया जाय।

[परिच्छेद 3.2.3 (स)]

- (7) राज्य सरकार विषय विशेषज्ञों एवं सरकार के संबंधित विभाग-प्रमुखों की एक विशेषज्ञ समिति गठित करें, जो पंचायतों द्वारा प्रदान की जाने वाली अपेक्षित प्रत्येक आधारभूत/अत्यावश्यक नागरिक सेवा की आदर्शात्मक आधार पर, भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करे। समिति से कहा जाय, कि वह पंचायतों द्वारा प्रदान की जाने वाली इन सेवाओं की पूंजीगत एवं संचालन तथा संधारण आवश्यकतायें, आदर्शात्मक आधार पर, भौतिक एवं वित्तीय दोनों के लिये पृथक-पृथक तैयार करें तथा अनुमानित समय सीमा भी बतायें, जिसमें उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिये।

[परिच्छेद 3.2.3 (द) (5)]

- (8) प्रतिवर्ष ***xte ipk; rka tuin ipk; rka*** एवं ***ftyk ipk; rka*** को क्रमशः रु. 90, रु. 8 एवं रु. 2 की दर पर ***ifr 0; fDr vuqku*** दिया जाय। ***xte ipk; rka*** का अनुदान ***^vk/kkjHkr l skvks*** के लिये निर्धारित हो तथा जनपद एवं ***ftyk ipk; rka*** के अनुदान ***^l kekl; mnns'kh; ^*** अथवा ***^vukc)*** ***^*** हों। निरपेक्ष रूप में ये ***ifr 0; fDr vuqku , d o"lz ea xte ipk; rka*** के लिये रु. 149.83 करोड़ ***tuin ipk; rka*** के लिये रु. 13.32 करोड़ तथा ***ftyk ipk; rka*** के लिये रु. 3.33 करोड़ होंगे। #- 166-48 ***djkM+ dh dgy jkf'k dks ftyka ea fuEufyf[kr vk/kkj ij forfjr fd;k tk; rFkk ; gh XIIoa forR vk; ksx ds vuqku ds forj.k dk vk/kkj gksxk %***

Ø-	forj.k vk/kkj	Hkkj (%)
(i)	ग्रामीण जनसंख्या	60
(ii)	ग्रामीण भू क्षेत्र	20
(iii)	ग्रामीण अनु.जाति / जनजाति जनसंख्या	10
(iv)	ग्राम पंचायतों का प्रति व्यक्ति आं.रा.सं.	10
; ksx		100

सुझाये गये चारों संकेतांकों को दिये गये भार से संबंधित व्याख्यात्मक आबंटन फार्मूला सारणी क्र. 3.15 में अवलोकनीय है।

[परिच्छेद 3.2.3 (द)(7) (i से iii)]

- (9) प्रत्येक जिले के आबंटन को ***xte ipk; rka tuin ipk; rka*** एवं ***ftyk ipk; rka*** में क्रमशः 90:8:2 के अनुपात में चिन्हांकित किया जाय। प्रत्येक जिले के विभाजनीय कोष में से व्यक्तिगत ***tuin ipk; rka*** एवं ***ftyk***

ipk; r के अंशभाग को उन्हें, **1 kekl; mnns'kh; vulc)** अनुदान के रूप में वितरित किया जाय।

[परिच्छेद 3.2.3 (द)(7) (iv से vi)]

- (10) प्रत्येक जिले में **xte ipk; rka** के अंशभाग को पूर्णतः, पूँजीगत एवं संचालन एवं संधारण लेखों के अंतर्गत, आधारभूत नागरिक सेवाओं के लिये चिन्हित किया जाय। **ftyk ipk; r** का सी.ई.ओ. प्रत्येक जिले में **xte ipk; rka** के विभाजनीय कोष में से 75% को जिले की व्यक्तिगत इकाइयों में जनसंख्या क्षेत्रफल तथा अनु.जाति एवं जनजाति की सम्मिलित जनसंख्या के आधार पर क्रमशः 50:20:5 के अनुपात में वितरित करें। रा.वि.आ. के 'आधारभूत नागरिक सेवा अनुदान' के शेष 25% भाग एवं **XIIoa forR vk; ksx** अनुदान के वितरण हेतु एक जिला आधारभूत आवश्यकता समिति का गठन किया जाय। यह समिति उन **xte ipk; rka** को अनुदान देगी, जिन्हें स्वयं उस समिति ने कतिपय विशिष्ट दो/तीन आधारभूत नागरिक सेवाओं के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता का पात्र पाया हो।

[परिच्छेद 3.2.3 (द)(7)(vii)]

- (11) **bl izdkj vk; ksx] o"lz 2005&06 ds fy; } dgy :- 238-29 djkm/+ ds jk-fo-vk- vrj.k dh vuqka k djrk gA ;g jkT; ds 2005&06 1/4jk-fo-vk ds iwkLupku 1/2 ds vius Lo; a ds 'kq) dj jktLo dk 6-628% gkrk gA o"lz 2006&07 l s jkT; dh ipk; rka dks jk-fo-vk- vrj.k ds vrXr gLrkafjr dh tkus okyh fujiSk jkf'k dk vkdyu iR; d o"lz jkT; ds Lo; a ds 'kq) dj jktLo ds bl 6-628% ds vk/kkj ij fd; k tk l drk gA**

[परिच्छेद 3.2.3 (ई)(2)]

6.6.0 XIIवें वित्त आयोग अनुदान का वितरण :

- (1) आयोग अनुशंसा करता है, कि वर्ष 2007-08 से राज्य के द्वितीय वित्त आयोग की अनुशंसायें लागू होने तक **XIIवें वित्त आयोग अनुदान का वितरण** में से 15% को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये, निर्धारित प्रकार से चिन्हित किया जाय :-

Ø-	en	ifr'kr ¼kf'k yk[k : -½
1.	प्रत्येक जनपद पंचायत में लेखापाल के तीन पद निर्मित करना	6% (738)
2.	एक पृथक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ	3% (369)
3.	प्रस्तावित सामूहिक पंचायत संकुल संसाधन केन्द्रों का सशक्तीकरण	4% (492)
4.	प्रशिक्षण अधो:संरचना को सशक्त करना तथा SIRD एवं PTCs/ETCs के द्वारा पंचायत कार्मिकों के लिये वित्तीय प्रबंधन पर प्रशिक्षण आयोजित करना	2% (246)
; lxx		15% ¼845½

[परिच्छेद 3.24 (10)(i)(iv)]

- (2) **XIIवें वित्त आयोग अनुदान का वितरण** के शेष 85% की राशि, जो रू. 104.55 करोड़ प्रतिवर्ष होती है, **xke ipk; rka tuin ipk; rka** एवं **ftyk ipk; rka** को क्रमशः 60:25:15 के अनुपात में वितरण हेतु जिलों को आबंटित की जाय। निरपेक्ष रूप से इस अनुदान की राशि **xke ipk; rka tuin ipk; rka** एवं **ftyk ipk; rka** को क्रमशः रू. 6273 लाख, 2613.75 लाख एवं 1568.25 लाख प्रति वर्ष होगी। ये आबंटन वित्त वर्ष 2007-08 से प्रभावशील किये जाय। ये अनुदान **^vukc)^** प्रकृति के होंगे; तथापि, ये राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी मार्गदर्शिका, यदि कोई हो के अधीन होंगे।

[परिच्छेद 3.24 (10)(V)]

- (3) रू. 123 करोड़ के वार्षिक अनुदान का अंतःजिला आबंटन हमारे द्वारा इस अध्याय के परिच्छेद 6.5.6 (8) में सुझाये भार के अनुसार किया जाय।

[परिच्छेद 3.2.4 (10)(vii),सारणी क्र. 3.15]

- (4) प्रत्येक **ftyk ipk; r** का सी.ई.ओ. जिले के विभाजनीय कोष को **xke ipk; rka tuin ipk; rka** एवं **ftyk ipk; r** में क्रमशः 60:25:15 के अनुपात में आबंटित करें। विभाजनीय कोष का अंतः **tuin ipk; r** आबंटन ब्लाकों की जनसंख्या, क्षेत्रफल एवं अनु. जाति तथा जनजाति की सम्मिलित जनसंख्या के आधार पर क्रमशः 60:25:15 के अनुपात में किया जाय। **tuin** एवं **ftyk ipk; r** उनके द्वारा प्राप्त **xiiia fo-vk-** अनुदान का कम से कम 75% उनके अधीन क्रियान्वित हो रही योजनाओं, आस्तियों के संधारण, जिसमें ऑफिस भवन भी शामिल होंगे, इत्यादि पर व्यय करेंगी। वे अपने कार्यालय एवं प्रशासकीय मदों पर जो आवर्ती प्रकृति के होते हैं, **xiiia fo-vk-** अनुदान का 25% से अधिक व्यय नहीं करेंगे।

[परिच्छेद 3.2.4 (10)(viii),(x)]

- (5) जहाँ तक **xiiia foRr vk; ksx vupku** में **xke ipk; rka** के अंशभाग के विभाजनीय कोष का संबंध है, **ftyk ipk; r** के सी.ई.ओ., अनुदान के 75% भाग को सीधे पंचायतों में, 70% भार जनसंख्या एवं 30% भू-क्षेत्र को देते हुये, वितरित करेंगे। **xke ipk; r** अपने अनुदान का न्यूनतम 50% अपने सुरक्षित पेयजल आपूर्ति एवं नाली व्यवस्था को शामिल करते हुये स्वच्छता संबंधी संचालन एवं संधारण पर व्यय करेंगी। आधारभूत नागरिक सेवाओं के प्रदाय पर मात्र उनका ही पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिये तथा जहाँ कहीं अभी भी सरकारी ऐजेन्सियों का नियन्त्रण इन आस्तियों एवं सेवाओं पर है, वहां शीघ्रातिशीघ्र संबंधित भौतिक आस्तियों को **xke ipk; rka** को सौंपने के समुचित उपाय किये जाय। इसके

अतिरिक्त **xte ipk; rka** को उन्हें आबंटित **xiiog fo-vk- vuŋku** का 25% **mi HkkDrk eŋ; ka** के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व जुटाना होगा।

[परिच्छेद 3.24 (10)(viii)]

- (6) जहाँ तक **xte ipk; rka** के विभाजनीय कोष के 25% का प्रश्न है, **ftyk ipk; r** के सी.ई.ओ. द्वारा संचालित एक पृथक **ftyk xte ipk; r dksk** की स्थापना की जाय। रा.वि.आ. अंतरण अनुदान में से **xte ipk; rka** को अतिरिक्त राशियाँ स्वीकृत करने के लिये [परिच्छेद 3.2.3 (द)(7)(vii)] गठित जिला आधारभूत आवश्यकता समिति को कहा जाय, कि वह 12वें वित्त आयोग अनुदान के इस भाग का वितरण उन **xte ipk; rka** में करें, जिन्हें अपनी आधारभूत सेवाओं के संचालन एवं संधारण के लिये अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है।

[परिच्छेद 3.24 (10)(ix)]

- 6.7.0 पंचायतों को अपना आंतरिक **jktLo l xg.k vf/kdre** करने के लिये प्रेरित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा, हमारे सुझाये अनुसार एक **jktLo l erŋ; @espa vuŋku ; kst uk** प्रारम्भ करनी चाहिये।

[परिच्छेद 3.2.5]

- 6.8.0 राज्य सरकार निर्वाचित सरपंचों के लिये, हमारे द्वारा सुझाये अनुसार, उनके कार्यकाल के लिये एक **ŋ eŋ nŋk/uk chek ; kst uk** प्रारम्भ करनी चाहिये।

[परिच्छेद 3.2.6]

- 6.9.0 सरकार के चुनाव खर्चों में कमी करने, प्रतिस्पर्धी प्रत्याशियों को अपने चुनाव अभियान में व्यर्थ के खर्चों से बचाने तथा ग्रामों में शांतिपूर्ण वातावरण की स्थापना के मुख्य उद्देश्यों से राज्य सरकार एक योजना प्रारम्भ करें, जिसके अंतर्गत उन पंचायतों को **ij.kk vuŋkuka** का प्रस्ताव हो, जिनमें अध्यक्ष तथा/अथवा सदस्यों का आम पंचायत चुनावों में सर्वसम्मत चुनाव हो।

6.10.0 पंचायत लेखों का अंकेक्षण :

6.10.1 जैसाकि **xte ipk; rka** के लेखों के विधिक अंकेक्षण का कार्य भी **LFkkuh; fuf/k l i jh{k l pkyuky;** को सौंप दिया गया है, अतः बताया गया है, कि वर्तमान **ipk; r vds{k d xte ipk; rka** का 'आंतरिक' अंकेक्षण कर रहे हैं। हमारे विचार में उनकी सेवाओं का उपयोग और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। प्रारम्भ करते हुये उनका पदनाम **'ipk; r vkrfjd vds{k d'** कर दिया जाय तथा वे केवल पूर्ववर्ती/आंतरिक अंकेक्षण ही न करें, वरन् पंचायतों के प्रशासकीय एवं वित्तीय प्रबंधन के बारे में सलाहकार, शैक्षणिक एवं प्रवर्तक की भूमिका निभायें, जैसा कि **if'pe caky** में होता है, जिससे स्थानीय निधि अंकेक्षकों के अंकेक्षण में संभावित आपत्तियों की संख्या एवं उनकी प्रकृति यथासंभव न्यूनतम हो सके। इन पंचायत आंतरिक अंकेक्षकों को सौंपे जा सकने वाले कार्यों का विवरण परिच्छेद 5.1.4 में देखा जा सकता है।

[परिच्छेद 5.1.4]

6.10.2 **xte ipk; rka** को उपलब्ध होने वाली राशियों में वृद्धि तथा ग्राम स्तर पर उनके दुरुपयोग की संभावनाओं को देखते हुये, स्थानीय निधि संचालनालय के **xte ipk; r** अंकेक्षण संबंधी स्टाफ की संख्या बढ़ाना आवश्यक है।

[परिच्छेद 5.1.5]

6.10.3 सभी **xte ipk; rka** के सचिवों, पंचायत आंतरिक अंकेक्षकों, तथा सभी लेखा अधिकारी/उप लेखा अधिकारी/लेखापालों, जो राज्य की विभिन्न स्तरों की पंचायतों में कार्यरत हैं, को ग्रामीण विकास के राज्य संस्थान (SIRD) के द्वारा प्रतिवर्ष, पंचायत लेखों एवं अंकेक्षण संबंधी, न्यूनतम एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाय। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रारम्भिक तथा रिफ्रेशर दोनों,

जो पंचायतों के वर्तमान एवं नये कार्मिकों के लिये होगा, न्यूनतम तीन दिन का पाठ्यक्रम **ipk; rka ds ctV] y[ka, oa vadsk.k** संबंधी होना चाहिये।

[परिच्छेद 5.1.6 एवं 5.6.0]

6.10.4 आयोग की जानकारी में वर्तमान में पंचायत लेखों के अंकेक्षण के लिये संबंधित पंचायतों से उनकी **Lo; a dh vk; ^ ds 0-33% dh nj l s ^vkMMV&Qhl ^** वसूली जाती है। आयोग की अनुशंसा है, कि पंचायतों को इस 'ऑडिट फीस' से माफी दी जाय, क्योंकि आयोग के मत में इसका कोई औचित्य नहीं है और यह भी कि यह स्था.निधि अंकेक्षकों द्वारा पंचायत लेखों के स्वतंत्र एवं विधिक अंकेक्षणों की बाधाओं में से एक सिद्ध हो रही है। **vr, o ipk; r vf/kfu; e] 1993 , oa ml ds varxr tkjh fof/kd fofu; eka ds l ca/kr iko/kkuka ea mi; Ør ifjorü dj ^vkMMV Qhl ^ ds iko/kku dks foykfi r dj fn; k tk; A**

[परिच्छेद 5.1.6 एवं 5.1.7]

6.10.5 स्थानीय निधि अंकेक्षकों को अधिकार दिया जाय, कि वे उन सभी के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही जारी कर सकें, जिन्हें पंचायत राशियों के गबन, अनियमितता, धोखाधड़ी, दुरुपयोग, गलत उपयोग, इत्यादि के दोषी पाया गया हो।

[परिच्छेद 5.1.8]

6.10.6 उन पंचायत कार्मिकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये, जो शरारतपूर्ण कार्यो तथा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग में लिप्त पाये जाय।

[परिच्छेद 5.1.10]

6.10.7 जैसाकि विभिन्न स्तरों की पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण में भारी बकाया है, अतः सभी पंचायतों के गैर-अंकेक्षित लेखों के 'बाद के अंकेक्षण' का समय-बद्ध कार्यक्रम बनाया जाय तथा सुनिश्चित किया जाय, कि किसी वर्ष में पिछले वर्षों के 10% से अधिक लेखे गैर-अंकेक्षित न रहें। पंचायत लेखों के विलम्बित अंकेक्षणों को स्थानीय

निधि संपरीक्षकों द्वारा सम्पन्न कराने का एक 'fo'k'sk vflk; ku^ चलाये जाने की आवश्यकता है।

[परिच्छेद 5.1.10]

6.11.0 राज्य सरकार पंचायतों के सभी कार्यपालिक अधिकारों को नियमित शासकीय **xte ipk; r** सचिवों को हस्तांतरित करने की उपयुक्तता एवं वांछनीयता पर विचार करें। तथापि, **ipk; r jkf'k; ka dks fudkyus ds fy; s l æf/kr pðka ij døy l jip , oa fu; fer 'kkl dh; ipk; r l fpo gh l a Ør gLrk{kj dja** पंचायत कर्मियों को चैकों से पंचायत राशियाँ निकालने के लिये हस्ताक्षरकर्ता न बनाया जाय।

[परिच्छेद 5.2.2]

6.12.0 राज्य सरकार को **l gk; rk vuþkuka ds ek;/ e l s jkTkLo gLrk{rj.k** के लिये भिन्न-भिन्न स्थिति की पंचायतों के साथ भिन्न-भिन्न व्यवहार करने की दृष्टि से सभी स्तरों की पंचायतों को विकास के कतिपय सरल, पहचान योग्य एवं वस्तुपरक संकेतकों के आधार पर दो या तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत करने की उपयुक्तता एवं वांछनीयता पर विचार करना चाहिये।

[परिच्छेद 5.4.2]

6.13.0 पंचायतों को अतिरिक्त शक्तियाँ, अधिकार एवं उत्तरदायित्व तथा साथ ही आवश्यक **/kujkf'k , oaLVkQ gLrk{rj.k dh ifØ; k** में शीघ्रता की जानी चाहिये।

[परिच्छेद 5.5.2]

6.14.0 सौंपे गये कार्यों को संतोषजनक रूप से एवं अधिक प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिये पंचायत कार्मिकों की दक्षता-निर्माण हेतु उनका प्रशिक्षण राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता होनी चाहिये। अतएव, पंचायत कार्मिकों की प्रशिक्षण

आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये **xkeh.k fodkl ds jkT; I LFku** तथा पी.टी.सी. /ई.टी.सी. को सशक्त करना आवश्यक है।

[परिच्छेद 5.6.1]

6.15.0 सभी स्तरों की पंचायतों के क्रियाकलापों संबंधी वर्तमान विधिक प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत जारी **dk; ikfyd fofu; eka dh u; s fl js I s I eh{kk , oa muea vko'; d ifjorU** किये जाय।

[परिच्छेद 5.7.0]

6.16.0 पंचायतों को राजस्व देने वाले **ykkdkjh m/eka dks** प्रारम्भ में ऋण पूंजी जुटाकर, उन्हें उपलब्ध करा कर प्रारम्भ करने के लिये **ik&l kfgd djuk** चाहिये।

[परिच्छेद 5.8.0]

6.17.0 स्थानीय शासन संस्थाओं के अधिकारिक कार्मिकों के लिये एक पृथक **LFkuh;** **'kkl u I ok'** के गठन की संभावना पर विचार करना चाहिये, जिससे इन स्थानीय शासन कार्मिकों को एक पृथक पहचान दी जा सके।

[परिच्छेद 5.9.0]